पंजीकृत

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सप्तम मण्डल, गोरखपुर।

सेवा में,

सचिव,
सेन्ट्रल आफ सेकेण्ड्री एंजुकेशन
शिक्षा केन्द्र –2, कम्युनिटी सेन्टर
प्रीत बिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक आशु0/ 7140–46 /2016–17 दिनांक–28 सितम्बर 2016

विषय– दिव्य इण्टर नेशनल स्कूल जंगल सिकरी बाईपास चौक खोराबार, गोरखपुर की सी0बी0एस0सी0बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फॉर दी इण्डियन सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली/सेन्ट्रल आफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिए जाने के निर्देश हैं। मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 29.08.2016 में लिए गये निर्णय के अनुसार दिव्य इण्टरनेशनल स्कूल जंगल सिकरी, बाईपास चौक, खोराबार, गोरखपुर का सी0बी0एस0सी0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है–

1. विद्यालय के पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे, और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सी0बी0एस0सी0 बोर्ड नई दिल्ली से प्राप्त होती है जो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिए जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ0प्र0 के विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित पंजिकाओं में रखा जाएगा।

उक्त प्रतिबन्धों का अनुपालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है, कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है, तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा।

भवदीय

(सतीश सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सप्तम मण्डल, गोरखपुर।
09.IX.2016

पृष्ठांकन संख्या अशि0/ 7140–46 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा –7 अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोररखपुर।
3. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4. शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0 लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर।
6. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, दिव्य इण्टरनेशनल स्कूल, जंगल सिकरी, बाईपास चौक, खोराबार, गोरखपुर।
7. गार्ड फाईल।

(सतीश सिंह)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
सप्तम मण्डल, गोरखपुर।
09.IX.2016

Manager
Divya International School
By Pass Chowk,Khorabar
Gorakhpur

Principal
Divya International School
By Pass Chowk,Khorabar
Gorakhpur